न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 04/2023

प्रार्थी
सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी
1.श्री मनोज कुमार पुत्र श्री प्रतापराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों का वास ग्राम खाम्बल तहसील सिरोही हाल प्रो. मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस, मनोज कुमार बस स्टैण्ड सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–
1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 26.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2022 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस बस स्टैण्ड सिरोही की जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री, सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई । प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 30.12.2022 को जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस बस स्टैण्ड सिरोही की जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। भट्टी के ऊपर रखे भगोने में खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर को निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर एवं प्रकरण को जब्त सरकार किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एवं उसके भाई अनन्त कुमार का घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त दोनों सिलेण्डर को रिफिल कराने हेतु अपनी ज्यूस की दुकान पर रखा हुआ था, जिसकी गैस डायरी में

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत की है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। यह है कि उक्त सिलेण्डरों को जब्त किए जाने से अप्रार्थी एवं उसके भाई के पास अन्य कोई सिलेण्डर नहीं होने से खाने बनाने में समस्या हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में दोनों पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिए गए है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान की जांच करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था, जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रैणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। जहां तक अप्रार्थी का कथन है कि उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग घरेलू प्रयोजनार्थ ही किया जाता है, परन्तु उक्त दिवस को अप्रार्थी उक्त सिलेण्डरों को रिफिल कराने के लिए लेकर आया था, जिन्हें प्रार्थी द्वारा उसे कब्जे सरकार ले लिया गया। अप्रार्थी द्वारा इसके सम्बन्ध में उक्त गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी ने कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी बाद में प्रस्तुत की है। अतः उक्त प्रकरण यह पता लगाना मुश्किल है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई गैस डायरी कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की ही है। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते है परन्तु मैसर्स लक्ष्मी ज्यूस बस स्टैण्ड सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण खाद्य सामग्री निर्माण करते हुए पाए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से निरीक्षण दल द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है ।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये दोनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये दोनों गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिये गये उक्त गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को उपभोक्ताओं को वितरण करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे एवं उक्त गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित गैस कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द कर प्राप्त राशि उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner